(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 22nd April, 2025

NOTIFICATION

No.9-6/2024-U.3(A): Whereas, an online application was submitted by Satyajit Ray Film and Television Institute Society (SRFTI Society) on the UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter no. 45-1/2024 (CPP-I/DU) dated 07.08.2024, had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) SRFTI Society for fulfilment of certain conditions before declaration of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University.

3. **And further whereas**, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to the SRFTI Society for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before declaration of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University.

4. **And whereas**, the SRFTI Society, vide letter dated 10.01.2025, submitted compliance report of the conditions of Letter of Intent (LoI). The compliance report was verified and accepted by the UGC Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 588th meeting (Item No.7.03) held on 25.03.2025.

5. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.
ii. SRFTI, Kolkata shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
iii. The academic programmes to be offered at SRFTI, Kolkata shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

iv. SRFTI, Kolkata shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

v. SRFTI, Kolkata shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

vi. SRFTI, Kolkata shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by SRFTI, Kolkata.

viii. SRFTI, Kolkata shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

ix. SRFTI, Kolkata shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

x. SRFTI, Kolkata shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xi. SRFTI, Kolkata shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

<u>Copy forwarded to</u>:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

2. The Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi

3. The President, SRFTI Society, Kolkata, West Bengal.

4. The Director, Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal.

5. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of West Bengal, Bikash Bhawan, DF Block, Sector 1, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal 700091.

6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.

7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.

8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.

9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

संख्या 9-6/2024-यू.3(ए): जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, पंचासयार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संख्या का दर्जा देने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी (एसआरएफटीआई सोसाइटी) द्वारा यूजीसी के पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. **और जबकि,** यूजीसी ने अपने दिनांक 07.08.2024, के पत्र सं. 45-1/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एसआरएफटीआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी।

3. **और इसके अलावा जबकि,** शिक्षा मंत्रालय ने, यूजीसी की सलाह पर, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एसआरएफटीआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था।

4. **और जबकि,** एसआरएफटीआई सोसायटी ने दिनांक 10.01.2025 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अनुपालन रिपोर्ट की यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई और स्वीकार किया गया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 25.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 7.03) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

पूर्तिक

5. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्था/या उसके संघटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

ii. एसआरएफटीआई, कोलकाता किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ अर्जन प्रकृति की हो।

iii. एसआरएफटीआई, कोलकाता में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

iv. एसआरएफटीआई, कोलकाता इस विषय पर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।

v. एसआरएफटीआई, कोलकाता अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। यह संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।

vi. एसआरएफटीआई, कोलकाता समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

vii. विद्यार्थियों के प्रवेश, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी

प्रीति

निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी, और एसआरएफटीआई, कोलकाता द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

viii. एसआरएफटीआई, कोलकाता यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमावली प्रस्तुत करेगा। संस्थान जब भी आवश्यक हो, मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमावली को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।

ix. एसआरएफटीआई, कोलकाता यूजीसी और प्रासंगिक सांविधिक परिषदों की नियमावली और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

x. एसआरएफटीआई, कोलकाता इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xi. एसआरएफटीआई, कोलकाता अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का सृजन करेगा, अपने छात्रों की पहचान करेगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रतिबिंबित हो और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पूर्णेन्दु बनर्जी

(पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, एसआरएफटीआई सोसाइटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
4. निदेशक, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पूर्वी मेट्रोपोलिटन बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

5. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, विकास भवन, डीएफ ब्लॉक, सेक्टर 1, बिधाननगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091।

6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।

8. वेब मास्टर, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उच्चतर शिक्षा विभाग, की वेबसाइट (होम साइट) पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस यूनिट को आवश्यक निर्देश दें।

9. गार्ड फ़ाइल / अधिसूचना फ़ाइल.

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं.23381578